

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या - 81
दिनांक 25.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

फिलिस्तीन के मुद्दे पर रुख

*81. श्री सुब्बारायण के.:
श्री सेल्वाराज वी.:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस संकल्प पर मतदान नहीं किया जिसमें गाजा में तत्काल और स्थायी युद्धविराम की मांग की गई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) फिलिस्तीन के मुद्दे पर सरकार का क्या रुख है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

'फिलिस्तीन के मुद्दे पर रुख' के संबंध में 25.07.2025 को उत्तरार्थ श्री सुब्बारायण के और कॉमरेड सेल्वाराज वी द्वारा पूछे गए लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 81 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

फिलिस्तीन के प्रति भारत की नीति लंबे समय से चली आ रही है। भारत ने हमेशा वार्ता के माध्यम से दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन किया है, ताकि सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो, जो इज़राइल के साथ शांतिपूर्वक रह सके।

भारत ने 7 अक्टूबर 2023 को इज़राइल पर हुए आतंकवादी हमलों और इज़राइल-हमास के बीच मौजूदा संघर्ष में नागरिकों की जान जाने की कड़ी निंदा की है। भारत यहां की सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंतित है और इसने युद्धविराम, सभी बंधकों की रिहाई और बातचीत व कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। भारत ने फिलिस्तीन के लोगों को सुरक्षित, समयबद्ध और सतत मानवीय सहायता की आपूर्ति की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने यह भी दोहराया है कि इज़राइल और फिलिस्तीन के एक-दूसरे के आने से सीधी शांति वार्ता की शीघ्र बहाली के लिए परिस्थितियाँ तैयार करने में मदद मिलेगी।

भारत ने उपर्युक्त नीति और स्थिति के अनुरूप, 12 जून, 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपातकालीन विशेष सत्र के हालिया संकल्प पर मतदान में भाग नहीं लिया।
